खण्ड-320, अंक-1
सोमवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1898
(22 मार्च, 1976 ई0)

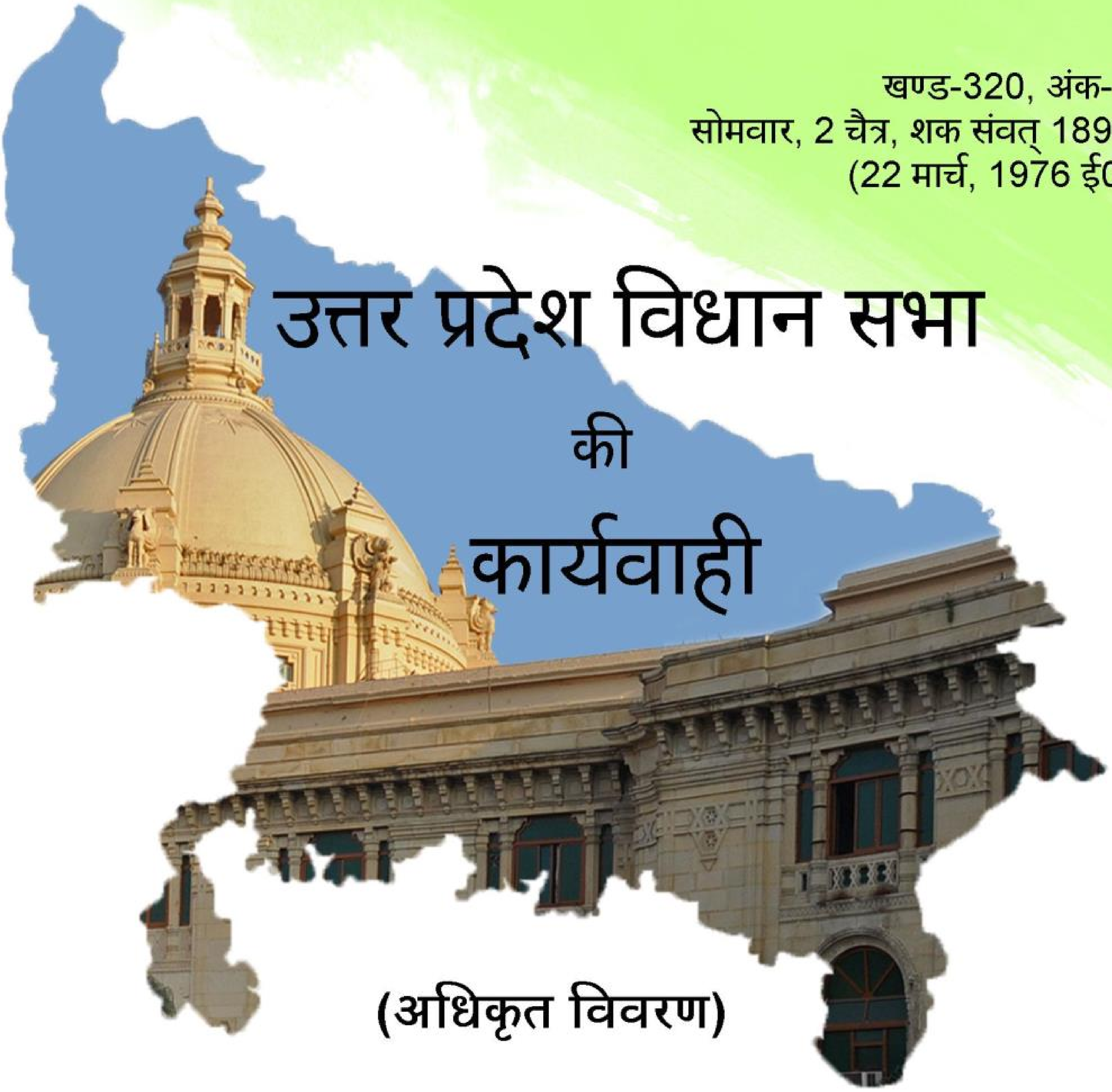

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–पूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–4
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	5
श्री कुमार स्वामी कामराज के निधन पर शोकोद्गार ..	5–7
विधान सभा सदस्या, श्रीमती शिव कुमारी दुबे तथा भूतपूर्व सदस्य, श्री शत्रुघन सिंह, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी, श्री रामजी सहाय, श्री मुहम्मद, शाहिद फाखरी, श्री शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री देवनन्दन शुक्ल, श्री मुहम्मद सआदत अली खां, श्री श्याम सुन्दर शुक्ल तथा श्री बृज किशोर अग्रवाल के निधन पर शोकोद्गार	8–12
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये वाध्य करना) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	14

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदनके पटल पर रखी गयी)	16
उत्तर प्रदेश कृषि उधार नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	16
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	16
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	16
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	17
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी)	17
उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	17
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (पंचम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	17
उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1973–74 (सदन के पटल पर रखी गयी)	17
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवाद के निबटारे की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	18

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	18
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	18
दिसम्बर, 1972 में पिथौरागढ़ में हुई घटनाओं की जांच के लिये नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	18
टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1956 के अधीन प्रस्तावित आदेश (सदन के पटल पर रखा गया) ..	19
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	19
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 (सदन के पटल पर रखी गयी)	19
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	19
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	20
कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, 1975 में किय गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	20
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गय शाब्दिक संशोधन (सदन क पटल पर रख गये)	20
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदश संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	20
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	21
उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	21
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	21
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नि यंत्रण विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	21
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	21
उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	22
उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	22
उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	22

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	22
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	22
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	23
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	23
संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	23
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	23
उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	24
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	24
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	24
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	24
उत्तर प्रदेश विनियोग (1968-69 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	25
उत्तर प्रदेश विनियोग (1969-70 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	25
उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	25
उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	25
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	26
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	26
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	26
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	26
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, 1975 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	26

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	27
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	27
उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	27
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	27
कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	27
खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	28
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	28
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	28
उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	28
उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	29
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	29
उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	29
उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	29
उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन विधेयक, 1975 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	30
सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना	30–32
विधान सभा की कार्यवाहियों की असंशोधित प्रतियों का लोक सभा की भांति वितरण	32–33
सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना	33–34
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	34–35
मत्थियां	36–47

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 22 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 1 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—314

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरुप, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूबचन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरुप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजाशंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरेलाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गोरैला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरीशंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नरायण सिंह, श्री

चन्द्रभान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर , श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह , चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरुप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (मेहनगर जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर बर्मा, श्री
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायण त्रिपाठी,
जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जयनरायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगुल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनरायण पाण्डेय, श्री
दीपनरायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवकुमार यादव, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नरायण सिंह, श्री
नजुराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास चौधरी, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल, वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डा०
प्रताप नरायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह बाबू, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रभुनारायण, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल , श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी , श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती प्रसाद, श्री

भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलादत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूलाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिश्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूलचन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मुहम्मद हयात, हाजी
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला बलरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राजराजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
रामनरायण पाठक, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (जिला इटावा)
रामलखन, श्री (जिला बस्ती)
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसमुझ तिवारी, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रूद्र प्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उप नाम मणी जी)
रेवतीशरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा ,श्री
लक्ष्मी शंकर यादव ,श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम , श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिवकुमार पान्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरनलाल,श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त सिंह यूसूफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निशाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायण , श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र , श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल, श्री (लांठ)
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:--राज्य विद्युत मंत्री, श्री रमेन्द्रवर्मा तथा राज्य ग्राम्य विकास मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

मैंने पिछली बार जब आपको सम्बोधित किया था, तब से युगान्तरकारी परिवर्तन हुए हैं। मुद्रास्फीति के कारण कीमतों का बराबर बढ़ना, चारों ओर फैली तस्करी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ी हुई अनुशासनहीनता व बिजली, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण निराशा का वातावरण छाया था। जब स्थिति लगभग काबू से बाहर हो रही थी, ठीक उसी समय हमारी महान प्रधान मन्त्री जी ने अपने सहज निर्णायक ढंग से लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई ठोस उपाय किये, और एक बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम घोषित किया एवं राष्ट्रीय जीवन में अनुशासन फिर से कायम किया।

*　　*　　*

इस सत्र में मुख्य रूप से वित्तीय कार्य सम्पादित किया जायगा। आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि गत सत्र के पश्चात् जो अध्यादेश मैंने प्रख्यापित किये हैं, उनके स्थान पर लाये जाने वाले विधेयकों को आप पारित कर दें। उनमें से कुछ का उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है। पिछले वर्ष मैंने सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्थाओं व हिन्दू मन्दिरों व धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध में सुधार लाने के प्रस्ताव का संकेत किया था। इस सम्बन्ध में एक विधेयक आपके सामने इसी सत्र में लाया जायगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नये विधेयक भी आपके सामने पेश किये जायेंगे जिनमें से कुछ के नाम यह हैं—

1—उत्तर प्रदेश दुग्ध विधेयक।

2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक।

3—उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक।

4—उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र वृक्षों का संरक्षण विधेयक।

5—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक।

6—उत्तर प्रदेश औद्योगिक सुरक्षा दल विधेयक।

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं।

जय हिन्द।

(श्री राज्यपाल के सम्पूर्ण अभिभाषण के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 36–40 पर)

श्री कुमार स्वामी कामराज के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)

श्रीमन्, सम्मानित सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का, श्रीमन् आपको भी यह दुखदायक सूचना हमारे भारत रत्न जननायक देश के महान् नेता, श्री कुमार स्वामी कामराज का निधन 2 अक्तूबर, 1975 को हृदय गति रुक जाने के फलस्वरूप हो गया। श्री कामराज हमारे देश के महानतम नेताओं में से थे और वह एक ऐसी पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान करके, उन्होंने देश को गौरव प्रदान किया था, जो पीढ़ी आज उठती जा रही है। 16 वर्ष की किशोरावस्था में ही वह बापू के अनुयायी बन गए और स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े। नमक सत्याग्रह के रास्ते में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वयं सेवक से लेकर सभापति तक कांग्रेस के जो उनके योगदान रहे वह अभूतपूर्व रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर और कांग्रेस के स्वयं सेवक तक आधुनिक तमिलनाडु के निर्माण में उनका योगदान रहा। जब प्रथम बार मुख्य मंत्री वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरायण दत्त तिवारी—]

वहां के चुने गए तो उन्होंने जिस प्रकार नया तामिलनाडु का निर्माण किया वह आज भी दूसरे राज्यों के लिये एक प्रेरणा का श्रोत माना जाता है। तत्पश्चात् राष्ट्रीय मंच में कांग्रेस अध्यक्ष के रुप में वह चुने गए। तो उनका योगदान भारत की राजनीति में हमेशा के लिये लिखा जायेगा। उनका जो तामिलनाडु और देश के निर्माण में योगदान रहा है, वह एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। श्रीमन्, मेरा आग्रह है कि आप इस सदन की संवेदना हमारे दल की समवेदना, श्री कामराज के निकटस्थ सम्बन्धियों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)

अध्यक्ष महोदय, मुझको आने में देर हुई। माफी चाहता हूं तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे आने से पूर्व जो कुछ कहा वह मुझे नहीं मालूम है लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। तो माननीय कामराज जी का कैरियर जो है, उनका जो जीवन है, जिस तरह स उन्होंने कार्य किया हमारे सार्वजनिक जीवन में और जो उसमें उन्होंने स्थान प्राप्त किया है वह इस बात का सूचक है कि अगर हमारे देश में जनतन्त्र चलता रहा तो अमेरिका की तरह से नीचे से नीचे पैदा हुआ आदमी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है। अमेरिका के जितने प्रेसीडेन्ट हुए है मुझे ठीक आंकड़े नहीं मालूम उनमें बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुए थे। कोई मोची के घर में और कोई इन्डस्ट्रियल वर्कर के घर में पैदा हुए थे। वहां इतनी लिबर्टी और इतनी फ्रीडम है कि हर एक आदमी की काबलित और उसके मस्तिष्क के बल पर ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, प्रेसीडेन्ट भी हो सकता है और बहुत से प्रेसीडेन्ट हुए है। कामराज जी, जैसा मैंने कहा, जाहिर है कि बहुत छोटे घर में पैदा हुए थे। वह मुख्य मंत्री हुए मद्रास के और कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हुए और अपने ही संगठन में कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं और उनके पीछे चलने वालों में कोई कमी नहीं आयी है। उन्होंने मद्रास में अपना एक अलहेदा ढ़ाचे को मजबूत बनाने की कोशिश की उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ मद्रास में इसी बात का प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के अन्दर शामिल हुए थे और तब से वह ऊंचे से ऊचें स्थान पर पहुंचे। उनका जो कैरियर है वह उनकी सक्सेस का सबूत है। इससे देश के जो प्रेमी हैं और जो हितैषी हैं उनको आगे के लिये एक आशा बंधी है। मद्रास में उनका एक स्थान था। ऐसे आदमियों की देश में बहुत जरूरत है। स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की जो पंक्ति है वह च्युत होती जा रही है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो स्थान रिक्त होते जा रहे हैं उनको पूरा करने के लिये ऐसा लगता है कि कोई पैदा नहीं हो रहा है। और गुलामी के जमाने में हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक हर क्षेत्र में दिग्गज लोग पैदा हुए हैं। कानून को देखें, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं लेकिन अग्रेंजों के समय में बड़े-बड़े लायर्स पैदा हुए हैं। कैमिस्ट्री, फिजिक्स, एवं विज्ञान में बड़े-बड़े विद्वान पैदा हुए है। हिस्टोरियन्स और जर्नलिस्ट्स को आप देखें, पोलिटिशियन्स और लीडर्स को आप देखें जो दो तीन पीढ़ी के लोग हुए हैं आज उनके सामने हम बौने हैं, बहुत छोटे हैं हर क्षेत्र में इसका एक ही एक्सप्लेनेशन होता है। जब किसी आर्गेनिज्म पर, जीव और लिविंग थिंग पर आक्रमण होता है तो उसकी ताकत फूट पड़ती है। अग्रेंजों के जमाने में, गुलामी के जमाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनका मुकाबला रेजिटेन्स से किया और उसके रूप में बड़े-बड़े आदमी हमारे यहां पैदा हुए लेकिन सन् 1947 के बाद वह प्रोसेस बन्द हो गया और उस तरह के बड़े-बड़े आदमी पैदा होना ही बन्द हो गए। हर क्षेत्र में चाहे वह पोलिटिक्स हो जर्नलिज्म हो, मेडिसिन हो या जीवन का कोई क्षेत्र हो। आज हमारे देश का स्थिति सारे संसार में वह

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है जिस पर अभिमान किया जा सकता हो। हमने अंग्रेजों के जमाने में एक नक्शा बनाया था कि हमारा देश महान और समृद्धशाली बनेगा और दुनिया को एक नया संदेश देगा। लेकिन वह सब नक्शा खत्म हो चुका है। अब इस सिलसिले में और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

अब मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि आप मेरी ओर से और मेरे साथियों की ओर से, अब तीनों जो यह पार्टियां हैं, जनसंघ, संगठन कांग्रेस और बी० के० डी० ने यह तय किया है कि वे एक इकाई के तौर पर इस सदन में काम करेंगे, उसका क्या नाम होगा अभी हमने तय नहीं किया कल या परसों में तय होगा, जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, उनकी ओर से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि माननीय कामराज जी के जो सरवाइवर्स हैं, उनके पास समवेदना भेजने की कृपा करेंगे और भगवान से मैं और मेरे साथी प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो स्वर्गीय कामराज जी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय कामराज जी एक महान राजनीतिज्ञ थे और बहुत ही अद्वितीय किस्म के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। जाहिर है ऐसे महान योद्धा के निधन से हमारे देश की क्षति हुई है और हम सब उनके निधन से दुखी हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारी ओर से और हमारे दल कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उनके सन्तप्त परिवार तक हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष जी, नेता सदन और नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय कामराज जी के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए हैं, उनमें अपने और अपने दल, सोशलिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। माननीय कामराज जी देश के एक महान नेता थे। उनके निधन से देश को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। उनके निधन से मैं और मेरा दल बहुत दुखी है।

मेरी प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की ओर से उनके शोक-सन्तप्त परिवार को हमारा समवेदना का सन्देश भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय प्रतिपक्ष नेता और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने दिवंगत श्री कामराज जी के प्रति जो भावोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। कामराज जी धरती के पूत थे और करोड़ों ऐसे लोग जो जीवन और संस्कृति और सभ्यता और विधि के धुंधलके में रह रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व करते थे। एक ठेठ ग्रामीण सहज बुद्धि को लेकर उन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया और कांग्रेस संगठन जो स्वाधीनता संग्राम में रत था और जो उसके बाद कार्य शासन के द्वारा यहां किये गये उन सब कार्यों में कामराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके द्वारा व्यक्त विचारों के अनरूप उनके निकट सम्बन्धियों को समवेदना संदेश पहुंचा दिया जायेगा। अब दो मिनट के लिये हम सब मौन खड़े हो कर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा सदस्या श्रीमती शिव कुमारी दुबे एवं भूतपूर्व सदस्य, श्री शत्रुघन सिंह, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी, श्री रामजी सहाय, श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी , श्री शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री देवनन्दन शुक्ल, श्री मुहम्मद सआदत अली खां, श्री श्याम सुन्दर शुक्ल तथा श्री बृज किशोर अग्रवाल के निधन पर शोकोद्गार।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मुझे अत्यन्त खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि सदन की सम्मानित सदस्या, श्रीमती शिवकुमारी दुबे अब हमारे बीच में नही रहीं। पिछली 12 जनवरी को बलरामपुर अस्पताल में उनका निधन हो गया। वह मृत्यु के पहले तक अपने कार्य में तत्परता से लगी रहीं वह अधिवेशन में भाग लेने गयी थी। वहां से लौट रही थी तब उनको अचानक तकलीफ हुई। सारी सुविधा प्रदान की गयी उनके इलाज की लेकिन वह चल बसी। प्रतापगढ़ जिले के बोगापुर क्षेत्र मे वह कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आयी थी। और जिनका भी इस सदन में उनसे सम्पर्क हुआ सबको उन्होंनें अपने मधुर व्यक्तित्व से और अपने स्वभाव से प्रभावित किया। उनके पति श्री राम देव जी दूबे भी दो बार इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं। उनके बाद उनका पद श्रीमती शिवकुमारी दुबे जी ने सुशोभित किया। मै आपसे आग्रह करूंगा कि इस सदन की ओर से, हम सब की ओर से, श्री रामदेव दुबे जी को और उनके शोक सन्तप्त परिवार को समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, मुझे सदन को सूचित करते हुये अत्यन्त दुख होता है कि इस सदन के भूतपूर्व सदस्य दीवान श्री शत्रुघन सिंह और उनकी आदर्श पत्नी भूतपूर्व सदस्या श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी का भी निधन हो गया। विगत 3 दिसम्बर, 1975 को उनका देहावसान अपने निवास स्थान ग्राम अगरोठ हमीरपुर में हुआ और उनकी मृत्य के दो ही तीन दिन बाद शोक में सन्तप्त होकर उनकी सती साध्व पत्नी श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी का भी निधन हो गया। यह आदर्श परिवार था और स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रकार पहले अपनें जिले में तथा प्रदेश में एक कार्यकर्ता के रूप में पदार्पण किया, अभूतपूर्व रहेगा।

सन् 1915–16 में ही दीवान साहब क्रान्तिकारी हो गए थे और तब से प्रत्येक स्वतंत्रता संग्राम में वे भाग लेने लगे थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी देती थी। पति और पत्नी दोनों नें ही स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। दीवान साहब जिला बोर्ड हमीरपुर के सर्वप्रथम अध्यक्ष चुने गये थे। 1948 में बोर्ड का निर्वाचन होनें पर वे भारी बहुमत से पुनः विजयी हुए और लगभग 10 वर्ष तक उस पद पर आसीन रहे। उनकी पत्नी स्वर्गीया राजेन्द्र कुमारी जी भी मौदहा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा की सदस्या चुन कर आयी थीं। सन 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंनें भाग लिया। 1922 में सत्याग्रह में पति पत्नी दोनों को ही जेल जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त सन्त विनोबा जी के भूदान यज्ञ में भी उन दोनों का सराहनीय योगदान रहा है। इन्होंनें मगरौठा ग्राम पूरा भूदान में दिया और अन्य कई ग्रामों को भूदान में दिया। इस दम्पति के महान कार्यों से सदा हम सबको प्रेरणा मिलती रहेगी आपसे अनुरोध है कि हम सबकी सम्वेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुचानें की कृपा करें।

श्रीमन, मुझे यह भी सूचना देते हुए बड़ा खेद है कि देवरिया जनपद के भूतपूर्व सदस्य विधान सभा ,श्री रामजी सहाय का भी स्वर्गवास गत 27 जुलाई , 1975 को हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके साथ कार्य करने का मुझे 10 वर्ष तक अवसर प्राप्त हुआ था । उनकी वाणी में ऐसा तेज था और वे ऐसे मिलनसार व्यक्ति थे जिनसे सदा हम सबको प्रेरणा मिलती रहेगी। शोषित एवं पीड़ित जनता की सदा सहायता करना ही उनका ध्येय रहा है । महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सत्याग्रह में उन्होंनें कई बार भाग लिया और वे जेल गये । शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान सराहनीय था । उन्होंनें रूद्रपुर में एक शिक्षा संस्था का निर्माण भी किया जो आज 'श्री रामजी सहाय डिग्री कालेज, रूद्रपुर के नाम से विख्यात है । जन कल्याण के कार्यों में वे सदा ही रूचि लेते रहे । ऐसे महान व्यक्ति के निधन पर हम सभी को खेद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी समवेदना सन्तप्त परिवार तक पहुंचानें का कष्ट करें ।

मुझे यह भी दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी का भी स्वर्गवास 9 सितम्बर, 1975 को हो गया उन्होंनें विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय समाज की सेवा की है। कई संस्थाओं से उनका गहरा सम्बन्ध रहा है । जमायतुल उलेमा हिन्द जैसी संस्था के वे संस्थापक रहे हैं साम्प्रदायिकता के तो वे सदा ही कट्टर विरोधी रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के सिलसिले में वे कईबार जेल भी गए हैं। वह 8 वर्ष तक इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। तथा 12 वर्ष तक विधान परिषद् में भी सदस्य रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के सदा ही जन सेवा में रत रहते थे । ऐसी दिवंगत आत्मा के प्रति समवेदना व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध है कि हमारी समवेदना आप दुखद एवं सन्तप्त परिवार तक पहुचानें का कष्ट करें ।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, श्री शिवसम्पति शर्मा का भी 13 सितम्बर को हृदया गति रूक जानें के फलस्वरूप स्वर्गवास हो गया। कालपी निर्वाचन क्षेत्र से 1962 में इस विधान सभा के सदस्य चुनकर आए थे। इस प्रकार 10 वर्ष तक विधान सभा के सदस्य रहे । सन् 1975 में वे जालौन जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गये और जीवन के अन्तिम समय तक उस पर आसीन रहे । वे गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत थे। गांधी आश्रम द्वारा संचालित खादी तथा चरखा प्रचार एवं ग्राममुधार अभियानों में उनका बड़ा योगदान रहा है। सन्त विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के संयोजक के रुप में भी उन्होंनें काफी कार्य किया है और हजारों एकड़ भूमि प्राप्त कर भूमि हीनों में बटवायी है। उन्होंने 'शहीद नगर' के नाम से एक ग्राम बसाया जहाँ पर विविध स्थानों से 30 भूमिहीनों को लाकर पुनर्वासित कराया। वे बड़े ही उदार और सहृदय व्यक्ति थे। आपसे अनुरोध है कि हमारी समवेदना सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करे ।

मुझे सदन को सूचित करते हुए दुख होता है कि विधान सभा के भतपूर्व सदस्य, श्री देवनन्दन शुक्ल, देवरिया का 8 अक्टूबर की रात्रि में रक्तचाप की बीमारी से देहावसान हो गया। श्री देवनन्दन शुक्ल सलेमपुर तहसील के प्रमुखतम कार्यकर्ताओं और नेताओं में से थे। उन्होंनें सारा जीवन ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसीलिये उन्होंनें अपनी वकालत का पेशा भी त्याग दिया। उनको बार-बार जेल की सजा भगतनी पड़ी। श्रीमन्, वे सलेमपुर तहसील निर्वाचन क्षेत्र से 1952 से 57 तक इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे, मेरा आपसे आग्रह है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी हार्दिक समवेदना पहुचानें का कष्ट करें ।

मुझे सदन को सूचित करते हुए बहुत दुख होता है कि नानपारा के राजा स्वर्गीय मोहम्मद सआदत अली खां का 27 अक्तूबर, 1975 को उनके लखनऊ स्थित निवास स्थान पर ही देहावसान हो गया। वे सन् 1939 से ही इस विधान सभा के सदस्य रहे। फिर दोबारा चुने गये और 1947 से 1957 तक इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य रहे। उन्होंने बहराइच जिले में एक प्रशासक के रूप में बहुत अच्छा काम किया और उसके बाहर शिक्षा वृत्ति के रूप में भी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

निर्माण में जो योगदान दिया उसके लिये वे हमेशा याद रखे जायेंगे। मेरा आग्रह है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी हार्दिक समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है कि प्रतापगढ़ के भूतपूर्व विधायक श्री श्याम सुन्दर शुक्ल का निधन, 29, अक्तूबर, 1975 को उनको निवास स्थान पर हो गया। वे सन् 1946 से 1951 तक और 1962 से 1967 तक इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य रहे। कई बार वे जेल गये। पहले वे सरकारी कर्मचारी थे और पंडित जवाहरलाल की प्रेरणा से ही उन्होंनें पुलिस विभाग से त्याग पत्र देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। श्री श्याम सुन्दर शुक्ल का बहुमुखी व्यक्तित्व था। मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपा करके उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी हार्दिक समवेदना पहुचानें का कष्ट करें।

श्रीमन्, मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है कि इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य, श्री बृज किशोर अग्रवाल का देहावसान 7 जनवरी की रात्रि में हो गया। वे अयोध्या, फैजाबाद से जनसंघ से 1967 में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आये थे। अयोध्या जनपद में जन चिकित्सा की जैसी स्थिति थी उसमें जिस प्रकार का सुधार उन्होंनें किया वह वहां के हर व्यक्ति को विदित है। इस क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये जन सेवा के कार्यो की कहानी तो अयोध्या में ही उनके द्वारा स्थापित 'डाक्टर बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज" कह रहा है। श्री अग्रवाल नगरपालिका, फैजाबाद में भी सन् 1953 में जनसंघ की ओर से निर्वाचित हुए। श्रीमन् मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कृपा करके श्री अग्रवाल के शोक सन्तप्त परिवार तक हमारी हार्दिक समवेदना पहुचानें का कष्ट करें।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्णतया सहमत हूं जैसे कि मैंनें पहले ही कहा था कि पुरानें लोंगों की पंक्ति धीरे-धीरे बहुत क्षीण हो रही है। आज इत्तफाक से 12,13 व्यक्तियों -पब्लिक वर्कर्स और लीडर्स के निधन का जिक्र हम लोग यहां कर रहें हैं। ऐसा इत्तिफाक है कि सब के सब जो इस सदन के मेंम्बर थे और जिनकी चर्चा यहां की गयी, उन सब के साथ रहनें का, इस सदन में मेंम्बर रहनें का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। और अभी मैं अपनें साथी से कह रहा था कि सन् 1937 से लेकर अब तक कितनें इस प्रकार के निधनों के प्रस्ताव में मुझे शरीक होंना पड़ा। आज उनमें से बहुत कम लोग रह गए हैं जब कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के मातहत सन् 1937 में यह हाउस बना था और जो जीवित है वे अपनी सेवाओं से समाज को कहां तक लाभान्वित करनें की हालत में हैं।

धीरे-धीरे टाईम जो है वह अपना असर डालता जा रहा है, सबको यहां से जाना ही है। उनमें से एक महिला है, श्रीमती शिवकुमारी जी दुबे। वह बहुत ज्यादा अर्से तो हमारी मेम्बर नहीं लेकिन जितनें भी समय रहीं, ऐक्टिव वर्कर रहीं। कभी हिस्सा लेती थीं असेम्बली की कार्यवाही में। श्री रामजी सहाय एक पुरानें गांधी वादी विचारों के आदमी थे। उन पर कोई असर नए जमानें का नही पड़ता था, या बहुत कम पड़ता था। कम बोलने वाले और मीठा बोलने वाले, ऐसे में उनका शुमार था। उन पर यह असर नही हो सकता था कि वह कभी झूठ बोलेंगे, हमेशा सच बोलने वाले लोगों में थे। वह भी बिदा हो गए।

हमारे मोहम्मद शाहिद फाखरी साहब थे, उनके आचरण का चित्रण करना किसी एक-आध वाक्य के जरिये वह मुश्किल है। वह एक संजीदा और हंसमुख व्यक्ति भी थे। कोई आदमी उसके विचार से चाहे जितन उनसे डिफर करते हों, उनसे बात करने के बाद सब मतभेद वह आदमी भूल जाता था और उसको उनकी तारीफ करनी तड़ती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा समय एक चीज है वह सबको ग्रस लेता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी और उनके पतिदेव दीवान शत्रुघन सिंह, वह दोनों आज हमारे बीच से बिदा हो गये हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस कुटुम्ब ने जितनी कुर्बानी की है स्वतन्त्रता संग्राम में वह कदाचित बुन्देलखंड में किसी ने नही की। वह लायन आफ बुन्देलखंड कहलाते थे। शेर बुन्देलखंड ऐसा उनका नाम था। और आखिरी वक्त तक जितनी जायदाद थी वह देते रहे। भूदान में एक गांव ही दे दिया। ऐसा उनका मनोबल था। उनकी धर्म पत्नी जो थीं वह भी हमारी मेम्बर रह चुकी हैं और उनके सुपुत्र जी वह भी हमारे मेम्बर रह चुके हैं। वह भी जन सेवा के कार्यों में ऐक्टिव पार्टी सिपेशन लेते हैं, क्रियाशील हैं।

श्री शिवसम्पति शर्मा, वह भी हमारे पुरानें लोगों में से थे वह भी हमारे मेंम्बर रह चुके हैं। जालौन के रहनें वाले थे। वह भी आज बिदा हो चुके हैं।

श्री देवनन्द शुक्ल, वो अधिक तो नहीं रहे, गालिबन एक ही टर्म मेंम्बर रहे और देवरिया के रहनें वाले थे। मैं नही जानता कि पुरानें इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्रगिल में उनका कितना हिस्सा था। वह भी हमारे बीच में नही रहे।

श्री मोहम्मद सआदत अली खां, राजा नानपारा, जो इम्पार्शियल्टी से बिल्कुल ऊपर थे, उन्होंने मन्दिर भी बनवाये और मस्जिद भी बनवायी। वह अपने जमाने में अपने जिले में काफी जनप्रिय व्यक्ति थे। वह जुल्म और अत्याचार के ऊपर थे, नानपारा की जनता को ऐसी कोई शिकायत राजा साहब से नहीं थी।

श्री श्याम सुन्दर शुक्ल, जैसा माननीय तिवारी जी नें बताया कि वह पहले पुलिस सर्विस में काम करते थे बाद में उन्होंनें इस्तीफा दे दिया। 86 वर्ष की उम्र हो गयी थी। आज वह भी हमसे बिदा हो गये।

डाक्टर बृजकिशोर जी होम्योपैथ थे अयोध्या में उन्होंने एक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज कायम किया जिससे जनता की ठोस सेवा हो रही है। राजनीति में उन्होंने पदार्पण 1947 में किया था। पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी वह उसमें शामिल नहीं हो पाये। इन शब्दों के साथ में आपसे निवेदन करूंगा कि इस विरोध पक्ष की ओर से आप सम्वेदना उनके कुटुम्बजनों को पहुंचाने की कृपा करें और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे जितने साथी हम सबसे बिदा हो चुके है उन सबको।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष जी बड़े दुख का विषय है कि जब हम मिल रहे हैं तो हमारे बीच से कई इस विधान सभा के माननीय सदस्य जो पहले रह चुके हैं और जो इस समय थे, नहीं रहे उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे भी इस विधान सभा में काम करने का अवसर मिला है। उनके निधन से हम सब लोग दुखी हैं। माननीय नेता सदन ने जो विचार इन दिवंगत आत्माओं के प्रति व्यक्त किये हैं मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा आपसे अनुरोध है कि हमारी ओर से और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इन सब साथियों के संतप्त परिवारों को सम्वेदना का सन्देश पहुंचाने की कृपा करें।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

माननीय नेता सदन ने इस सदन के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों के निधन के सम्बन्ध में, जिनमें स्व० श्रीमती शिवकुमारी दुबे, श्री राम जी सहाय, श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री देवनन्दन शुक्ल, श्री शत्रुघन सिंह, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी तथा श्री बृजकिशोर अग्रवाल आदि के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को अपने दल को, सोशलिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और मान्यवर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से सम्वेदना का सन्देश उनके दुखी परिवार तक भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन और माननीय प्रतिपक्ष नेता और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमती शिवकुमारी दुबे वर्तमान सदस्या थी और उनका जीवन पवित्र और निश्छल जीवन था। वह बराबर कहती थी कि वह चली जायेंगी। वह यह भी कहती थीं कि बयालिसवां वर्ष उनका अन्तिम वर्ष है। न जाने उनको ऐसा क्यों लगता था कि वे जल्दी ही हमारे बीच से उठ जायेंगी। उनके निधन से निश्चय ही सार्वजनिक जीवन में जो क्षति हुई है उसका पूरा होना मुश्किल है। श्री रामजी सहाय श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री शिवसम्पति शर्मा, श्री देवनन्दन शुक्ल, श्री मोहम्मद सआदत अली खां, श्री शत्रुघन सिंह, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी और डाक्टर बृजकिशोर अग्रवाल ने अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्य किए हैं। और वह इस सम्मानित सदन के सदस्य थे। उनके निधन से हमारा सार्वजनिक जीवन उस रिक्तता का अनुभव करता है और जैसे कि अभी विचार व्यक्त किए गए हैं कि जो क्षतियां हुई हैं वह अपूर्णीय है हम ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करते हैं और आपने जो इच्छा व्यक्त की है उसके अनुरुप उनके सम्बन्धियों और उनके परिवार वालों को सम्वेदना का आपका सन्देश भिजवा दिया जाएगा।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1975†

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975†

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1975†

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975†

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975†

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975†

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975†

विद्युत मन्त्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)--

मैं आपकी आज्ञा से ...

श्री बालकृष्ण सनवाल--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा ।

श्री बाल कृष्ण सनवाल--

22 में से केवल 9 मिले हैं..

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप सदन और पटल का अर्थ मुझ से मेरे कक्ष में समझ लें ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अध्यादेश, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने क लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976†

सहकारिता मन्त्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1976†

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1976†

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976†

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976†

परिवहन राज्यमन्त्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1976†

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमाआरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976†

विद्युत मंत्री मन्त्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिज़वी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिज़वी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1976†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 970 टी/30-4-34 के0 एम0-74, दिनांक 31 मार्च, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 की धारा 32 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार नियमावली, 1975†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री अजीजुर्रहमान)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (संस्थागत वित्त) अनुभाग की अधिसूचना सं0 आई0एफ0-1434 दस-117-74, दिनांक 12 मई, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उधार नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 25 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय अनुभाग की अधिसूचना सं0 2902 सं0/सत्रह 75-181 सं0-75, दिनांक 14 अगस्त, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975, उसमें जारी किये गये शुद्धि पत्र सं0 76 सं0/सत्रह-76-161 सं0 75, दिनांक 7 जनवरी, 1976 सहित तथा अधिसूचना सं0 3256 सं0/सत्रह-75-181(सं)-75, दिनांक 9 सितम्बर, 1975 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां का) अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग, अनुभाग-1 की अधिसूचना सं-1127/रा0-1-2(3)-75, दिनांक 18 जून, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1975†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग, अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2-67-75 राजस्व 1, दिनांक 18 सितम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1975 को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, 1974†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0 331/तीस-2-811-एन0 72 दिनांक 14 मई, 1974 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, 1974 तथा उसमें जारी किये गये शुद्धि पत्र सं0 3704/30-2-811-एन0-72, दिनांक 20 अगस्त, 1974 जो दिनांक 6 अगस्त, 1975 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन में सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई, को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (सरदार कुलतार सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद (अधिष्ठान अराजपत्रित) विभाग--अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 21588/29 अधि0 अराज0 अनु0 2 डब्लू0 एम-69-64, दिनांक 8 सितम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (पंचम संशोधन) नियमावली, 1976†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 4411/2 (9)-75-राजस्व-1, दिनांक 6 जनवरी, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत-सीमा आरोपण (पंचम संशोधन) नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1973-74†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 1973-74) को लेखा विवरण सहित, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवाद के निबटारे की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजीलाल सहायक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 184-डी-33-96-75, दिनांक 9 जुलाई, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवाद के निबटारे की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से, पंचायती राज्य विभाग- अनुभाग- 2 की अधिसूचना सं0 3030-बी/33-124-64, दिनांक 1 जुलाई, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को, यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, पंचायती राज विभाग-अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 22-डी/33-180-72, दिनांक 18 जुलाई, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (4) के अनुसार सदन में पटल पर रखता हूं।

दिसम्बर, 1972 में पिथौरागढ़ में हुई घटनाओं की जांच के लिए नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दिसम्बर, 1972 में पिथौरागढ़ में हुई घटनाओं की जांच के लिए नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट को, कमीशन्स आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

टेहरी गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1956 के अधीन प्रस्तावित आदेश‡

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, टेहरी गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अधीन जारी किये जाने वाले एक प्रस्तावित आदेश (अधिसूचना) को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 2 (2)-75 राजस्व-1, दिनांक 2 अप्रैल, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1975, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 44 की उपधारा (3) के अनुसार, दिनांक 31 जुलाई, 1975 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-8 की अधिसूचना सं0 46(6)-70-राजस्व-8 दिनांक 6/7 जनवरी, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उपधारा (5) के अनुसार दिनांक 5 अगस्त, 1975 को सदन के पटल पर रखी गयी और जिसके सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 41 पर)

---

‡छापा नहीं गया ।

†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 42 पर)

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 43 पर)

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 44 पर)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 45 पर)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 46 पर)

उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 1975 में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 47 पर)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियन्त्रण विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1975 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं। कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 22वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश, विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 23वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि फन्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 24वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा --

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति 13 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 25वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 26 वां अधिनियम बन गया ।

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 30 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 27वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 28वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 अगस्त, 197 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 29वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 30वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 31वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 32वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1968–69 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1968–69 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 7 अगस्त, 197 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 33वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1969–70 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा––

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1969–70 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 7 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 34वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा––

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 35वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अगस्त, 1975 के बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1975 हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 36 वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 37वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्रीअध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 38 वां अधिनियम बन गया।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जुलाई 1975 को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 अगस्त, 1975 को समाप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 39वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 40वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण विधेयक, 1975 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 41वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकआयुक्त तथा उपलोक आयुक्त विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 42 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 43वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषध विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 29 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 44वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटीज (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 जुलाई, 1975 बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश 45वां अधिनियम बन गया।

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 7 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 46वां अधिनियम बन गया।

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा:—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 अगस्त, 1974 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 अगस्त, 1974 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 के उपवेशन में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 4 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 47वां अधिनियम बन गया ।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 48वां अधिनियम बन गया ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 49वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 50वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण निर्बल वर्ग (ऋण की वसूली का अधिस्थगन) विधेयक, 1975 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 अगस्त, 1974 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 51वां अधिनियम बन गया ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1975 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था, जिन्हे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 1975 के उपवेशन में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1975 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 52वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश चिट फण्ड विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अगस्त, 1975 की बैठक ने पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 अक्तूबर, 1975 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 53वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जुलाई, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 जुलाई, 1975 की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 1975 के उपवेशन में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्तूबर, 1975 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 54वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अगस्त, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 अगस्त, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 55वां अधिनियम बन गया ।

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष:--

कार्यसूची 44 के अन्तर्गत मुझे आपको सूचना देनी है....

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, श्री अब्दुल फैज शाह, जो बी0एल0डी0 के सदस्य थे क्या वह बी0एल0डी0 से त्यागपत्र दे चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अभी यह विधान सभा के विगत सत्र के पश्चात जिन माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई इत्यादि की सूचनायें सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई मैं उनकी सूचना बुलेटिन सं0 10 से 20 द्वारा माननीय सदस्यों को दी जा चुकी है, उनके नाम इस प्रकार है :--

1--श्री राम बाबू मिश्र (मथुरा)
2--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (बांदा)
3--श्री राघवेन्द्र सिंह (उन्नाव)
4--श्री नत्थू सिंह (मैनपुरी)
5--श्री एदल सिंह (बुलन्दशहर)
6--श्री मुलायम सिंह (इटावा)
7--राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह (आगरा)
8--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (बहराइच)
9--श्रीमती गायत्री देवी (मथुरा)
10--श्री बाबू लाल वर्मा (बहराइच)
11--श्री लक्ष्मण सिंह (मुजफ्फरनगर)
12--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (बस्ती)
13--श्री शारदा भक्त सिंह (हरदोई)
14--श्री चन्द्रपाल सिंह (मुरादाबाद)
15--श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (मुरादाबाद)
16--श्री उदय नाथ (वाराणसी)
17--श्री आशाराम यादव (मिर्जापुर)
18--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (फतेहगढ़)
19--श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (फैजाबाद)
20--श्री कैलाश सिंह (बलिया)
21--श्री इन्द्रपाल सिंह (अलीगढ़)

22—श्री शिव प्रसाद (आजमगढ़)
23—श्री जुगल किशोर (बदायूं)
24—श्री राम प्यारे तिवारी (वाराणसी)
25—श्री कल्याण सिंह (अलीगढ़)
26—श्री मोहम्मद मसूद खां (आजमगढ़)
27—श्री शारदा प्रसाद रावत (गोरखपुर)
28—श्री नन्हें लाल कुरील (बाराबंकी)
29—श्री बाबू सिंह यादव (अलीगढ़)
30—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (सीतापुर)
31—श्री मोहन लाल कपूर (मेरठ)
32—श्री गंगा प्रसाद (एटा)
33—श्री काली चरण यादव (गाजीपुर)
34—बाबा राम नाथ (मैनपुरी)
35—श्री शतरुद्र प्रकाश (वाराणसी)
36—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (देवरिया)
37—श्री राम जनम राय (गाजीपुर)
38—श्री राम अधार (आजमगढ़)
39—श्री सत्यवीर सिंह (बुलन्दशहर)
40—श्री तेज सिंह (बुलन्दशहर)
41—श्री हिम्मत सिंह (बुलन्दशहर)
42—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (गोरखपुर)
43—श्री मधुकर दिघे (गोरखपुर)
44—श्री भारत सिंह चौहान (इटावा)
45—श्री शिव सम्पत्ति राम (मिर्जापुर)
46—श्री दशरथ सिंह (गोंडा)
47—श्री किशन लाल (पीलीभीत)
48—श्री नन्दराम (मुजफ्फरनगर)
49—श्री सुखद राज सिंह (बहराइच)
50—श्री श्याम लाल अहिरवार (फर्रुखाबाद)
51—श्री मन्ना लाल (खीरी)
52—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (बहराइच)
53—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (सुल्तानपर)
54—श्री सत्यपाल मलिक (मेरठ)
55—श्री उमानाथ (जौनपुर)
56—श्री चन्द्र शेखर सिंह (बस्ती)
57—श्री राम रेखा यादव (बस्ती)
58—श्री सुल्तान सिंह (मुरादाबाद)
59—श्री शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद)
60—श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)
61—श्री अंगने लाल (हरदोई)
62—श्री राम पति (गोंडा)
63—श्री गंजो प्रसाद (वाराणसी)
64—श्री श्याम बिहारी सिंह (बरेली)
65—श्री तीरथ राम कोहली (इलाहाबाद)
66—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (गोंडा)

विधान सभा

[श्री अध्यक्ष]

67---श्री हरीश कुमार गंगवार (बरेली)
68---श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (सहारनपुर)
69---श्री ओम प्रकाश सिंह (मिर्जापुर)
70---श्री हरि केवल (देवरिया)
71---श्री मोती लाल देहलवी (कानपुर)
72---श्री धीरेन्द्र सहाय (पीलीभीत)
73---श्री कृष्णा राय (देवरिया)
74---श्री अब्दुल रऊफ लारी (गोरखपुर)
75---श्री त्रिवेणी सहाय (गोंडा)
76---श्री सूबेदार प्रसाद (मिर्जापुर)
77---श्री शिवपाल सिंह (उन्नाव)

शासन से दिनांक 20 मार्च, 1976 को प्राप्त सूचना के अनुसार इन सदस्यों में से श्री सूबेदार प्रसाद, दिनांक 12 मार्च, 1976 को "मीसा" के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये हैं तथा जिला कारागार मिर्जापुर में बंदी हैं ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । श्री अबुल फैज शाह बी0एल0डी0 के सदस्य हैं और वह यहां पर बैठे है, जब कि बी0 एल0 डी0 के लोग बाहर चले गये हैं । उनकी क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठें । इस तरह से अनुशासनहीनता बरदाश्त नहीं की जायगी । जब कार्य-सूची मिली है तो उसकी जब वह मद आये तब आप कुछ कह सकते हैं । अभी तो अध्यक्ष आपको सूचना दे रहे हैं । सचिव ने सूचना दी । आप इतने दिनों से सदस्य हैं । मैं आपको इस तरह से अनुशासन में दखलन्दाजी करने के विरुद्ध कुछ चेतावनी देना चाहूंगा ।

विधान सभा की कार्यवाहियों की असंशोधित प्रतियों का लोक सभा की भांति वितरण

श्री अध्यक्ष---

दूसरी सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 303 (2) के अनुसार सदन की कार्यवाहियों के मुद्रण एवं वितरण के लिये 6 सप्ताह का समय निर्धारित है, किन्तु प्रायः वह उस समय के भीतर छप नहीं पाती हैं । वैसे भी इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी है कि सदन की प्रत्येक दिन की कार्यवाही को उसमें उठाये गये विषयों या दिये गये तथ्यों की पूरी जानकारी के लिये कुछ प्रतियां उपलब्ध होनी चाहिये । इससे शासन को जानकारी देने में तथा माननीय सदस्यों को जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी । अब तक प्रत्येक दिन की कार्यवाही की कुछ टंकित प्रतियां ही इस सचिवालय के उपयोग के लिये तैयार की जाती रही हैं जो उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं हैं । अतएव यह निश्चय किया गया है कि लोक सभा की भांति प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही की असंशोधित साइक्लोस्टाइल्ड या डुप्लीग्राफ प्रतियां तैयार करायीं जायें जिससे कि उनकी एक-एक प्रति जैसा कि अध्यक्ष निश्चित करें, विधान सभा में मान्यता प्राप्त मुख्य राजनीतिक दलों, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तथा उन विभागों के सचिवों को जिनके विभाग से सम्बन्धित विषय उस दिन विशेष की कार्यवाही में मुख्य

125074

रूप से चर्चा या विचार का विषय रहा है, उपलब्ध करायी जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही की 5 असंशोधित प्रतियां विधान मंडल पुस्तकालय में भी अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। उक्त कार्यवाही की प्रतियां, असंशोधित होगीं और इनका किसी प्रकार से न तो प्रकाशन किया जायगा और न ही अन्य प्रकार से उपयोग किया जा सकेगा उनका उपयोग केवल आवश्यक जानकारी हेतु ही किया जा सकेगा।

सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---

तीसरी सूचना जो मैं दे रहा हूं वह यह है कि विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने विगत सत्र के बाद अपना दल परिवर्तन की सूचना निम्न प्रकार से दी है:---

माननीय सदस्य का नाम	दल जिसे छोड़ा	दल जिसमें सम्मिलित हुये
1---श्री जुगल किशोर ..	.. भारतीय लोकदल	निर्दलीय
2---श्री इन्द्रपाल सिंह ..	.. जनसंघ	निर्दलीय
3---श्री सत्यवीर सिंह ..	.. जनसंघ	निर्दलीय
4---श्री वीर सिंह सेंगर ..	.. जनसंघ	निर्दलीय
5---डाक्टर मलखान सिंह ..	.. जनसंघ	निर्दलीय
6---श्री सत्यपाल सिंह यादव	.. जनसंघ	निर्दलीय
7---श्री शिव प्रसाद गुप्त ..	.. कांग्रेस संगठन	निर्दलीय

श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह सूचना चाहता हूं कि जो अभी माननीय प्यारे लाल शर्मा जी ने प्रश्न उठाया कि इस समय भालोद के लोग वाक आउट कर गये हैं, लेकिन श्री अबुल फैज शाह बैठे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है ? उन्होंने कुछ लिखकर दिया है ?

श्री अध्यक्ष---

जो लिख कर देता है उसकी सूचना 3 दिन बाद दी जाती है। अगर दिया है तो हम सूचित करेंगे।

श्री अबुल फैज शाह (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भालोद से कभी कोई सम्बन्ध नही रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इन्डेपेन्डेन्ट सदस्य की हैसियत से बैठने की इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष---

तीन दिन के बाद इस बात पर जो सूचना होगी वह दी जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी आपने पढ़ा कि अमुक दल से छोड़ कर माननीय सदस्य निर्दलीय दल में हो गये हैं तो लोकतंत्रीय परम्परा में निर्दलीय कोई दल नहीं है, उनको तो सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता का श्रेय हासिल है जैसे पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, लेकिन जो सदस्य एक दल से हटता है तो वह कैसे निर्दलीय दल में बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष---

इस समय जो सूचना माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है, उन्हीं को मैं इस आदरणीय सदन के सम्मुख रख रहा हूं। यदि कोई माननीय सदस्य जो किसी दल में नहीं है, और हैं उन्हें किन शब्दों में अभिहित किया जायगा। माननीय काशी नाथ जी अपने ही वक्तव्य का मनन करें, उस वक्तव्य में निहित है कि जब कोई माननीय सदस्य किसी दल में न हो तो वह कहां है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव

*श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर नियुक्त प्रवर समिति की सभापति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 202 के उपनियम (3) के अन्तर्गत सदन को प्रतिवेदित करती हूं कि उक्त प्रवर समिति की 10 नवम्बर, व 26 नवम्बर, 1975 की दो लगातार बैठकें तथा 10 मार्च, 1976 व 20 मार्च, 1976 की लगातार दो बैठकें गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करनी पड़ी।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं:---

चूंकि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 से सदन के 27 दिसम्बर, 1974 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र अर्थात् 18 फरवरी, 1975 से आरम्भ होने वाले सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें और उक्त प्रवर समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जा सकने के कारण सदन के 18 फरवरी, 1975 के निश्चयानुसार समिति का कार्यकाल वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया था और उसके पश्चात 28 जुलाई, 1975 को विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ाया गया था परन्तु समिति द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो सका है:---

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय:---

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय इस सदन के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाया जाय और प्रवर समिति को इस बढ़े हुये काल में भी सदन के 18 फरवरी, 1975 तथा 28 जुलाई, 1975 के निश्चयानुसार विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि:—

"चूंकि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 सदन के 27 दिसम्बर, 1974 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र अर्थात् 18 फरवरी, 1975 से आरम्भ होने वाले सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें और उक्त प्रवर समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जा सकने के कारण सदन के 18 फरवरी, 1975 के निश्चयानुसार समिति का कार्य काल वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया था और उसके पश्चात् 28 जुलाई, 1975 को विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ाया गया था परन्तु समिति द्वारा उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय:

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय इस सदन के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाया जाय और प्रवर समिति को इस बढ़े हुये काल में भी सदन के 18 फरवरी, 1975 तथा 28 जुलाई, 1975 के निश्चयानुसार विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 24 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
22 मार्च, 1976।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 5 पर)

श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1976 को दिया गया अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

मैंने पिछली बार जब आपको सम्बोधित किया था, तब से युगांतरकारी परिवर्तन हुए हैं। मुद्रास्फीति के कारण कीमतों का बराबर बढ़ना, चारों ओर फैली तस्करी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ी हुई अनुशासनहीनता, व बिजली, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण निराशा का वातावरण छाया था। जब स्थिति लगभग काबू से बाहर हो रही थी, ठीक उसी समय हमारी महान प्रधान मन्त्री जी ने अपने सहज निर्णायक ढंग से लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई ठोस उपाय किये, और एक बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम घोषित किया एवं राष्ट्रीय जीवन में अनुशासन फिर से कायम किया।

प्रधान मन्त्री के आर्थिक कार्यक्रम को अमल में लाने की दिशा में हमारे राज्य में उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई है। फरवरी के अन्त तक 16 लाख एकड़ से अधिक भूमि भूमिहीन तथा छोटे किसानों को आवंटित की जा चुकी है। इस बात को विशेष रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन भू-स्वामियों के पास सीलिंग कानून के अधीन घोषित अतिरिक्त भूमि है, या जिन्होंने गांव सभा की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उनसे न केवल भूमि का कब्जा लिया जाय और हकदार भूमिहीन व्यक्तियों को वह भूमि आवंटित की जाय, बल्कि उनको उस पर वास्तविक कब्जा भी दिला दिया जाय। इस दिशा में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा संशोधन भी किये गये हैं, जो आपके सामने रखा जायगा। शासन की जानकारी में आया है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली के आदेश हो जाते हैं वे उस उपबन्ध का अनुचित लाभ उठाते हैं जिसके अनुसार उन्हें अपनी खड़ी फसल को ले जाने का हक प्राप्त है। अब उन्हें केवल उसी फसल को ले जाने का अधिकार होगा जो बेदखली के आदेश के समय खड़ी हो, और यदि वे उसके बाद कोई और फसल बो लें तो उसे ले जाने का उन्हें अधिकार न होगा। भूमि के बेनामी तथा फर्जी अन्तरणों को मान्यता नहीं दी जा रही है, और सीलिंग कानून से बचने के विभिन्न उपायों के लिए कठोरतम दण्ड की व्यवस्था की गई है।

आवंटियों को भूमि का कब्जा दिलाने से ही हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। यह भी आवश्यक है कि उनके लिए वित्तीय व्यवस्था की जाय ताकि वे भूमि में उत्पादन कर सकें। भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि जिन शर्तों पर "लघु किसान विकास एजेंसी" कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है, उन्हीं शर्तों पर वह सम्पूर्ण राज्य में भूमि के आवंटियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करें।

भूमिहीन तथा समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए भूमि की व्यवस्था करने के कार्य में भी अच्छी प्रगति हुई है। कुल मिलाकर लगभग 12 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर और ग्रामीण शिल्पकार इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुये हैं। इस प्रकार हकदार परिवारों के 98 प्रतिशत को मकानों की भूमि दी जा चुकी हैं। यह प्राविधान किया गया है कि जिन लोगों को मकान के लिए जमीन दी गई है, उनका उस जमीन में स्थायी और दायिक अधिकार होगा किन्तु वे उसका अन्तरण नहीं कर सकेंगे। आवंटित जमीन पर मकान बनवाने के लिय धनराशि की व्यवस्था करने के प्रश्न पर योजना आयोग तथा भारत सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

पिछले सत्र में आपने एक संकल्प पारित किया था जिसके द्वारा शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई थी। उसी के अनुसरण में संसद ने अभी हाल में अर्बन लैण्ड (सीलिंग एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1976 पारित किया है। राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि यह कानून केवल उन्हीं बारह नगर-बस्तियों पर लागू नहीं होना चाहिए जिनके नाम इस अधिनियम में दिये हैं, बल्कि फिलहाल एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाले दस अन्य शहरों पर भी लागू होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है। राज्य सरकार का विचार है कि इस अधिनियम के अधीन सभी शहरी क्षेत्रों में अधिकतम सीमा के अतिरिक्त जो भूमि उपलब्ध होगी उसका उपयोग मुख्यतया शहरी आबादी के निर्बल वर्ग के लोगों के मकानों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए किया जाय। इस अधिनियम के अमल के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, और इस कानून से सम्बन्धित जो पूरक कदम उठाए जाने हैं उनके विधायी प्रस्ताव आपके समक्ष रखे जायेंगे। ये उपाय दो लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किये जाने हैं: पहला यह कि शहरी भूमि तथा शहरीकरण योग्य भूमि का समाजीकरण करना, और दूसरे, शहरी सम्पत्ति का चन्द लोगों के हाथ में बने रहने को समाप्त करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय निर्बल वर्ग के लोगों को ऋण से मुक्त करने के लिए आप पहले ही कानून पारित कर चुके हैं। जहां तक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व एक एकड़ तक की जोत के किसानों का सम्बन्ध है, उन्हें कर्ज से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है। गांवों के शिल्पकारों व दो हेक्टेयर तक की जोतों के काश्तकारों के कर्जों की वसूली पर भी रोक लगा दी गई है। यह रोक एक अस्थायी उपाय के रूप में लगाई गई थी, और सरकार का अब यह विचार है कि जिस वर्ग के लोगों के कर्जे की वसूली स्थगित कर दी गयी थी उनके कर्जों के दायित्व को घटाने के वास्ते उपयुक्त विधायन आपके सामने रखा जाय।

साहूकारी कारोबार के विनियमन के लिए भी एक विधेयक आपके सामने रखने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। इसी के साथ-साथ निर्बल वर्ग के लोगों को कर्जे की वैकल्पिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। हमारे राज्य में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये हैं। चार और ऐसे ही बैंक शीघ्र स्थापित हो जायेंगे। सहकारी ऋण संगठन को भी मजबूत बनाया जा रहा है और इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम का भी संशोधन एक अध्यादेश द्वारा किया गया। भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कर्जे की सुविधाओं का विस्तार किया जाय जो केवल उत्पादक प्रयोजनों के लिये ऋण के लिए ही न हो बल्कि लोगों की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें।

राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि खेतिहर मजदूरों को वस्तुतः न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, यह विचार है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करना संज्ञेय अपराध माना जाय। न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में कानूनी प्राविधानों का व्यापक प्रचार करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं।

पिछले सत्र मे आपने एक अधिनियम पारित कर के हमारे राज्य में बन्धित श्रम को समाप्त कर दिया है। बाद में, संसद नें एक व्यापक विधायन पारित किया, और अब यह प्रस्ताव है कि राज्य के अधिनियम को निरसित कर दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिये भी आवश्यक विधेयक आपके सामने रखा जायगा। केन्द्रीय अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर विचार करने के लिए समस्त हाकिम परगनों को अधिकार दे दिया गया है। इस बात को मालूम करने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी भी किन क्षेत्रों में बन्धित श्रम प्रथा शेष है, जिससे तदनुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके। जिन व्यक्तियों को बन्धित श्रम से मुक्त किया गया है उनके पुनर्वासन के लिय खेती योग्य भूमि और आर्थिक सहायता देने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

उद्योगों में मजदूरों के भाग लेने की योजना को अमल में लाने के लिए शासन कृत संकल्प है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में 36 में से 26 यूनिटों में और निजी क्षेत्र में 105 में से 100 यूनिटों में संयुक्त समितियां गठित कर दी गयी हैं।

शासन के दृढ़ प्रयासों से अप्रेंटिस योजना के अन्तर्गत लगभग दस हजार अप्रेंटिसों की भर्ती की गयी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित-जन-जातियों के व्यक्तियों, महिलाओं, अपंग व्यक्तियों और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित किये जा रहे हैं।

ट्रकों के संचलन सम्बन्धी अवरोधों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय परमिट योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक इस राज्य के लिए 250 परमिट दिये गये हैं। इस राज्य की ट्रक संख्या के अनुपात में राज्य के ट्रक आपरेटरों के लिए राष्ट्रीय परमिटों का कोटा बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। साथ ही साथ, कृषि उत्पादों के मूल्यों की अत्यधिक गिरावट को भी रोका जायगा ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

छात्रों को उचित मूल्य पर पुस्तकों तथा लेखन सामग्री के सम्भरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। छात्रावासों में भी आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। शासन ने पुस्तक बैंक योजना अधिकांश डिग्री कालेजों में चालू कर दी है व उसका विस्तार इण्टरमीडिएट कालेजों में भी करने का प्रस्ताव है।

यह एक सन्तोष की बात है कि राज्य में बिजली की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। नये कनेक्शन भी दिये जा रहे हैं। राज्य की विद्युत् प्रणाली की अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 2203 मेगावाट हो गयी है। इस बात की आशा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में उरया विद्युत् परिषद् द्वारा ग्रिड प्रणाली में 660 मेगावाट की बढ़ोत्तरी और की जा सकेगी, जिससे औद्योगिक और कृषि, दोनों ही क्षेत्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है और उसके लिए सिंचाई का हमारे राज्य के लिए अत्यधिक महत्व है। सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। शासन सिंचाई और बिजली के क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा, और इन क्षेत्रों में हमारी आवश्यकताओं के प्रति योजना आयोग की सहानुभूति के लिए हम उसके आभारी हैं।

सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया है। राज्य सरकार बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने, व उनके उत्पादन और डिजाइन में सुधार के लिए, और उनके लिए पूंजी तथा मार्केटिंग की सुविधाओं की व्यवस्था कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम बुनकरों को अपने माल का निर्यात करने में सहायता देंगे।

कृषि उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए 25 जिलों में गेहूं की सघन खेती का कार्यक्रम शुरू किया गया है। रासायनिक खाद में मिलावट को रोकने और उसे सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए शासन ने कड़े कदम उठाये हैं। आलू उत्पादकों के लाभ के लिए कोल्ड स्टोरेजों का विनियमन किया गया है, और उस सम्बन्ध में अधिकतम दरें नियत कर

आपात स्थिति लागू किये जाने से, इस राज्य में कानून और व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है। समाज विरोधी तत्वों के साथ कठोर कार्यवाही की गई है। पुलिस-तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

शासन ने "वातावरण तथा परिस्थिति विज्ञान" का एक अलग विभाग बनाया है। इस प्रयोजन के लिये एक बोर्ड गठित किया जा रहा है। नये उद्योगों को स्थापित करते समय यह सुनिश्चित किया जायगा कि वातावरण दूषित न हो। पेड़ों के अन्धाधुन्ध काटने पर भी रोक लगाई जायगी, जिससे परिस्थिति पर कुप्रभाव न पड़े। इस प्रकार यह विभाग उद्योगों के अव्यवस्थित ढंग से स्थापित होने पर निगाह रखेगा।

विवाह योग्य लड़कियों के अभिभावकों पर दबाव डाल कर दहेज वसूलना एक सामाजिक अभिशाप है, जिसका कड़ाई से दमन करने के लिये शासन कृत संकल्प है। शासन का यह भी प्रस्ताव है कि शादियों में अनावश्यक दिखावट तथा फिजूलखर्ची पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय। दहेज उन्मूलन कार्य क्रम में सहायता देने के लिये सामाजिक कार्य कर्त्ताओं की सेवायें भी प्राप्त की जायेंगीं।

सरकार जनता को शीघ्र तथा कम व्यय पर न्याय दिलाने के लिये उच्च न्यायालय के परामर्श से उपाय करेगी। न्यायालयों की संख्या में समुचित वृद्धि की जायेगी और निःशुल्क कानूनी सहायता योजना का विस्तार किया जायगा। न्यायिक सुधारों के लिये आवश्यक विधायन भी आपके समक्ष लाया जायगा।

नवयुवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाने को सरकार अत्यधिक महत्व देती है तदनुसार, इस प्रयोजन के लिये योजनायें तैयार की जायेंगीं।

गत वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजों का परीक्षा-कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गया था जिससे सामान्य छात्र समुदाय को बड़ी हानि हुई। शासन ने शिक्षा सत्र के साथ परीक्षा कार्य-क्रम का समन्वय पुनः स्थापित करने के लिये कदम उठाये हैं। सरकार बच्चों में अनुशासन की भावना और स्वस्थ मनोवृत्ति पैदा करने की दृष्टि से स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा तक के लिये स्काउटिंग को अनिवार्य करने जा रही है।

जनसंख्या पर नियंत्रण के बिना हमारा कोई कार्यक्रम अन्ततः सफल नहीं हो सकेगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम की अधिक सफलता सुनिश्चित करने के लिये शासन ठोस उपायों पर विचार कर रहा है। कार्यक्रम में सहयोग के लिये प्रोत्साहन स्वरूप सुविधायें दी जाएंगी व उनमें भाग न लेने वालों को सुविधाओं से यथा प्रसंग वंचित किया जाएगा। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार एवं विस्तार के लिए भी प्रयत्नशील है। संक्रामक रोगों और विशेषरूप से कुष्ट रोग की चिकित्सा व रोकथाम के लिए नये केन्द्र खोले जा रहे हैं।

यह सन्तोष की बात है कि शासन ने लोक सेवाओं में हरिजनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास किये उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। इस दिशा में कुछ और कदम भी उठाने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक विधायन लाया जायगा। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों में भी कुछ जातियां अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ी हुई हैं, और यह सुनिश्चित करनें के लिये कदम उठाए जायेंगे कि इन जातियों को भी लोक सेवाओं में अपना उचित अंश मिल सके।

मुझे हर्ष है कि शासन को अपनी सामाजिक और आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन में सभी वर्गों से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आपात स्थिति और नए आर्थिक कार्यक्रम द्वारा बढ़े हुए उत्तरदायित्व के सरकारी कर्मचारियों ने खुशी से स्वीकार किया है, और उनके कार्य-निष्पादन, समय-पालन और अनुशासन में प्रशंसनीय सुधार हुआ है। औद्योगिक मजदूरों नें उत्पादन में वृद्धि करनें के आह्वान को सराहनीय ढंग से स्वीकार किया। कुछ मिलों के, बिना उचित कारण के

बन्द किये जानें से सरकार चिन्तित है, और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि श्रमिकों को न तो बैठा दिया जाय और न उन्हें सेवा से अलग किया जाय, और उन्हें अपनी मजदूरी भी समय से मिले ।

प्रगति का मार्ग एक कठिन मार्ग है । आपात स्थिति से प्राप्त उपलब्धियों को सुदृढ़ करना और आगे भी निरन्तर प्रगति करते जाना आवश्यक है । जैसा कि प्रधान मंत्री जी नें कहा है कि वांछित लक्ष्य प्राप्त करनें के लिये कोई सुगम उपाय या जादू की छड़ी नहीं है । परिश्रम और घोर परिश्रम ही प्रगति की कुंजी है ।

इस सत्र में मुख्य रूप से वित्तीय कार्य सम्पादित किया जायगा । आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि गत सत्र के पश्चात जो अध्यादेश मैंनें प्रख्यापित किये हैं, उनके स्थान पर लाए जानें वाले विधेयकों को आप पारित कर दें। उनमें से कुछ का उल्लेख मैंनें पहले ही कर दिया है । पिछले वर्ष मैंने सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्थाओं व हिन्दू मन्दिरों व धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध में सुधार लाने के प्रस्ताव का संकेत किया था । इस सम्बन्ध में एक विधेयक आपके सामने इसी सत्र में लाया जायगा । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नए विधेयक भी आपके सामने पेश किये जायेंगे जिनमें से कुछ के नाम यह हैं :—

1—उत्तर प्रदेश दुग्ध विधेयक ।

2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक ।

3—उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक ।

4—उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र वृक्षों का संरक्षण विधेयक ।

5—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक ।

6—उत्तर प्रदेश औद्योगिक सुरक्षा दल विधेयक ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपनें कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं ।

जय हिन्द ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 19 पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1975 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधन:--

खण्ड 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "एक" निकाल दिया गया है तथा शब्द "गन्ना" के स्थान पर शब्द "गन्ने" रख दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 20 पर)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, 1975 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

1—अध्याय 4 के वर्तमान शीर्षक "सम्पत्तियों का निहित किया जाना और कर्मचारियों को स्थानान्तरण" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रख दिया गया है:—

"सम्पत्तियों, आस्तियों, दायित्वों व आभार का निहित किया जाना और कर्मचारियों का अन्तरण ।"

2—खण्ड 31 के उपखंड (3) में शब्द "राज्य सरकार के द्वारा" तथा शब्द "विरुद्ध" के मध्य शब्द "या" बढ़ा दिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय प्रदेश प्रदेश

नत्थी-'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 20 पर)

कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) विधेयक, 1975 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण :—

1—प्रस्तावना में वाक्यांश "भारत गणराज्य..... ....जाता है" के पूर्व तथा बाद में आने वाले कोष्ठकों के चिन्ह हटा दिये गये हैं ।

2—खंड 6 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "निबन्धन" के स्थान पर शब्द "निर्बन्धन" कर दिया गया है ।

3—खंड 7 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "जलवाह क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "संरक्षित क्षेत्र" रख दिये गये है ।

4—खंड 13 और 14 के पार्श्व शीर्षकों के बीच में आया हुआ शब्द "आस्ति" हटा दिया गया है ।

———

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 20 पर)

रजिस्ट्रीकरण (उ0प्र0 संशोधन) विधेयक, 1975 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

1—खंड 5 के पार्श्व शीर्षक में अंक तथा अक्षर "80—क" तथा शब्द "का" के बीच में शब्द, अंक तथा अक्षर "तथा 80—ख" बढ़ा दिये गये हैं ।

2—खंड 5 द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा 80-ख के पार्श्व में शब्द, अंक तथा अक्षर "नई धारा 80—ख का बढ़ाया जाना" निकाल दिये गये हैं ।

3—खण्ड 5 द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा 80-ख की उपधारा (2) की पंक्ति 3 में शब्द "लिखत" के स्थान पर "लिखित" रख दिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 20 पर)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किया गया शाब्दिक संशोधन:—

खण्ड 8 द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा 64—ख (1) की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "सातवीं अनुसूची" के स्थान पर शब्द "सप्तम अनुसूची" रख दिये गये हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 21 पर)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये औपचारिक संशोधनों का विवरण :—

1—प्रस्तावना में शब्द "पच्चीसवें" के स्थान पर शब्द "छब्बीसवें" रख दिया गया है।

2—धारा 1 की उपधारा (1) में वर्ष "1974" के स्थान पर वर्ष "1975" रख दिया गया है।

3—धारा 27(ख) की पंक्ति 4 में शब्द "था" और शब्द "जिनका" के मध्य शब्द "या" बढ़ा दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 21 पर)

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

1—खंड 5 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 42 के स्थान पर रखे गये खंड (42-ख) की पंक्ति 2 में शब्द "नियम" के बाद छपा "/" हटा दिया गया है।

2—खंड 5 के उपखंड (17) द्वारा बढ़ाये गये खंड (46) की पंक्ति 4 में अंक "1882" के स्थान पर अंक "1892" रख दिये गये हैं।

विधान सभा सचिवालय

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 18 वि0 सभा (369) —1976—840—(प्रो0)